

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 55] No. 55] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 31, 2018/माघ 11, 1939

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 31, 2018/MAGHA 11, 1939

गृह मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जनवरी, 2018

सा.का.नि. 100(अ).—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह, लक्षद्वीप, दमण एवं दीव और दादरा एवं नगर हवेली (पुलिस सेवा) संशोधन नियम, 2009 के साथ पठित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह, लक्षद्वीप, दमण एवं दीव और दादरा एवं नगर हवेली (पुलिस सेवा) नियम, 2003 में और संशोधन करने के लिए, एतद्वारा, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

- (1) इन नियमों का नाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह, लक्षद्वीप, दमण एवं दीव और दादरा एवं नगर हवेली (पुलिस सेवा) संशोधन नियम, 2018 है।
 - (2) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. दिनांक 11 जून, 2009 के सा.का.िन. 403 (अ) के तहत अधिसूचित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह, लक्षद्वीप, दमण एवं दीव और दादरा एवं नगर हवेली (पुलिस सेवा) संशोधन नियम, 2009 के साथ पिठत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह, लक्षद्वीप, दमण एवं दीव और दादरा एवं नगर हवेली (पुलिस सेवा) नियम, 2003 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है) में अनुसूची 1 के अंतर्गत भाग क (ख), भाग क (ग) और भाग ग को निम्न प्रकार प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

"अनुसूची 1" [नियम 4 (1) देखें]

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह, लक्षद्वीप, दमण एवं दीव और दादरा एवं नगर हवेली के विभिन्न ग्रेडों में ड्यूटी पदों का नाम और संख्या

भाग क	ग्रेड और सेवा की स्वीकृत नफरी	
(ख)	स्वीकृत नफरी	पदों की संख्या
1.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अधीन विशिष्ट पद	368
2.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह प्रशासन के अधीन विशिष्ट पद	14

3.	लक्षद्वीप प्रशासन के अधीन विशिष्ट पद	01
4.	दमण एवं दीव के अधीन विशिष्ट पद	02
5.	दादरा एवं नगर हवेली प्रशासन के अधीन विशिष्ट पद	
6.	प्रतिनियुक्ति, छुट्टी और प्रशिक्षण के लिए रिजर्व	01
	कुल	124
(ग)	रिजर्व	510
1.		पदों की संख्या
	386 के 12% की दर से प्रतिनियुक्ति के लिए रिजर्व	46
2.	386 के 10% की दर से छुट्टी के लिए रिजर्व	39
3.	386 के 10% की दर से प्रशिक्षण के लिए रिजर्व	39
	कुल	124
भाग ग	प्रविष्टि ग्रेड और चयन ग्रेड में पद	124
(ক)	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अधीन पद	
	सहायक पुलिस आयुक्त	314
(ख)	अंडमान एवं निकोबार प्रशासन के अधीन पद	314
	उप पुलिस अधीक्षक	
(ग)	लक्षद्वीप प्रशासन के अधीन पद	14
	उप पुलिस अधीक्षक	01
(ঘ)	दमण एवं दीव प्रशासन के अधीन पद	
	पुलिस प्रमुख, दमण एवं दीव	02
(ਫ਼.)	दादरा एवं नगर हवेली प्रशासन के अधीन पद	-
	पुलिस प्रमुख, दादरा एवं नगर हवेली	01
	भाग ग के (क)+(ख) +(ग) +(घ) +(ड.) का योग	
	भाग ख और भाग ग का योग	332
	(प्रतिनियुक्ति, छुट्टी और प्रशिक्षण के लिए रिजर्व	386
	कुल योग	124
	मुख थाग	510

[फा. सं. 14016/24/2012-यूटीएस-II]

पी. के. श्रीवास्तव, अपर सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 25th January, 2018

G.S.R.100(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the National Capital Territory of Delhi, Andaman and Nicobar Islands, Lakshadweep, Daman and Diu and Dadra and Nagar Haveli (Police Service) Rules, 2003 read with the National Capital Territory of Delhi, Andaman and Nicobar Islands, Lakshadweep, Daman and Diu and Dadra and Nagar Haveli (Police Service) Amendment Rules, 2009, namely:—

- (1) These rules may be called the National Capital Territory of Delhi, Andaman and Nicobar Islands, Lakshadweep, Daman and Diu and Dadra and Nagar Haveli (Police Service) Amendment Rules, 2018.
 - (2) These rules shall come into force on the date of their publication in the official gazette.
- 2. In the National Capital Territory of Delhi, Andaman and Nicobar Islands, Lakshadweep, Daman and Diu and Dadra and Nagar Haveli (Police Service) Rules, 2003 read with National Capital Territory of Delhi, Andaman and Nicobar Islands, Lakshadweep, Daman and Diu and Dadra and Nagar Haveli (Police Service) Amendment Rules, 2009 notified vide G.S.R. 403(E), dated 11th June, 2009 (hereinafter referred to as the said rules) for Part A (b), Part A (c) & Part C under Schedule I shall be substituted, namely:—

"SCHEDULE I"

[See rule 4(1)]

Name and number of duty posts in the various grades of the National Capital Territory of Delhi, Andaman and Nicobar Islands, Lakshadweep, Daman and Diu and Dadra and Nagar Haveli Police Service.

Part A	Grades and sanction strength of the Service		
(b)	b) Sanctioned Strength		
1.	Specific posts under the Government of the	368	
	National Capital Territory of Delhi		
2.	Specific posts under the Andaman and		
	Nicobar Islands Administration		
3.	Specific Posts under the Lakshadweep Administration	01	
4.	Specific Posts under the Daman and Diu.	02	
5.	Specific Posts under the Dadra and Nagar Haveli Administration.	01	
5.	Deputation, Leave and Training Reserves	124	
	TOTAL	510	
(c)	Reserves	No. of Posts	
1.	Deputation reserve at 12% of 386	46	
2.	Leave reserve at 10% of 386	39	
3.	Training reserve at 10% of 386	39	
	TOTAL	124	
Part C	Post in Entry Grade and Selection Grade		
(a)	Posts under the Government of National Capital Territory of Delhi	11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	
	Assistant Commissioner of Police	314	
(b)	Post under the Andaman and Nicobar Administration		
	Deputy Superintendent of Police	14	
(c)	Posts under the Lakshadweep Administration		
	Deputy Superintendent of Police	01	
(d)	Posts under the Daman and Diu Administration		
	Chiefs of Police, Daman and Diu	02	
(e)	Post under the Dadra and Nagar Haveli Administration		

THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(i)]

Chiefs of Police, Dadra and Nagar Haveli	01
Total of (a)+(b)+(c)+(d)+(e) of Part C	332
Total of Part B and Part C	386
Deputation, Leave and Training Reserves	124
Grand Total	510

[F. No. 14016/24/2012-UTS-II]

P. K. SRIVASTAVA, Addl. Secy.

Digitally signed by RAKESH
RAKESH SUKUL Date: 2018.01.31 20:09:35
+05'30'